

प्रति,

श्री. प्रमुख, 20
 स्कूल, 16 नंबर, बंगला, दिल्ली

आदि,

शिक्षा,
 दिल्ली प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
 "विभागा" भवन, बंगला, 16 नंबर, बंगला, दिल्ली-110092
 दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

विषय:-

शिक्षा विभाग "विभागा" के दिल्ली प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
 नई दिल्ली के सम्मेलन से प्राप्त हुए निर्णयों के अन्तर्गत निम्नलिखित

विषय:-

निम्नलिखित प्रकार के निर्णयों की तारीखें प्रमाणित करने के अर्थ में
 यह प्रमाणित है कि 29-9-05 को शिक्षा विभाग की अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय
 द्वारा जारी की गई है। उपरोक्त निर्णयों को शिक्षा विभाग के सम्मेलन में निर्णय
 के अन्तर्गत ही प्रमाणित किया गया है। नई दिल्ली के सम्मेलन से
 प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णयों के अन्तर्गत निम्नलिखित:-

- | | |
|---|---|
| 1. शिक्षा विभाग स्कूल, बंगला नंबर
16 नंबर | अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय करने का
निर्णय लिया गया। |
| 2. जे.एस.सी. विभाग स्कूल,
बंगला, नंबर 16 | अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय करने का
निर्णय लिया गया। |
| 3. जे.एस.सी. विभाग स्कूल,
अनापत्ति, आर.टी. टाउन हाई
स्कूल, अनापत्ति | अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय करने का
निर्णय लिया गया। |
| 4. जे.एस.सी. विभाग स्कूल, जे.एस.सी. विभाग
अनापत्ति | इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय
करने का निर्णय लिया गया कि, शिक्षा विभाग
के द्वारा जे.एस.सी. विभाग की है। सम्मेलन
प्राप्त करने के पूर्व शिक्षा विभाग में अनापत्ति
निर्णय प्रमाणित किया जा रहा है।
यदि निर्णय पूर्व ही अनापत्ति उक्त स्थान पर
प्रमाणित किया जा सकता है। |
| 5. जे.एस.सी. विभाग स्कूल, जे.एस.सी. विभाग
अनापत्ति | अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्णय करने का
निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि शिक्षा विभाग
जे.एस.सी. विभाग की है। सम्मेलन
प्राप्त करने के पूर्व अनापत्ति निर्णय कर लिया। |

प्रति,

Attested
[Signature]

[Signature]

6- मन्सू विद्यालय, जयपुरवाड़ी रोड, बड़नाकांड

अनुपस्थित अनुपस्थित प्रमाण-पत्र निर्दिष्ट
कारण का विषय में विचार गया कि विद्यार्थियों के
सुविधा के लिए विद्यालय में भवन निर्माण प्रस्ताव
परने के पूर्व विद्यालय में उपस्थित अनुपस्थित विद्यार्थियों
के विषय में निर्दिष्ट है कि अथवा उनका स्थान
पर प्रमाण प्रमाणित विद्यार्थियों को नियुक्ति कर
लेगी ।


7- मन्सू विद्यालय, जयपुरवाड़ी रोड, बड़नाकांड

अनुपस्थित अनुपस्थित निर्दिष्ट करने का निर्देश
द्वारा प्रस्ताव पर विचार गया कि विद्यालय में अभी 10
एकड़ों की जमीन पर प्रस्ताव करने के पूर्व
भवन संबंधी प्रस्ताव पुराने तथ्य विद्यालय
में अनुपस्थित विद्यार्थियों को निर्दिष्ट करने के लिए
अथवा अती स्थान पर निर्दिष्ट विद्यार्थियों को
नियुक्ति कर लेगी ।

8- दिवंगत/निर्धन विद्यार्थी स्कूल, नया रोड, राजपुर, विहटा

अनुपस्थित अनुपस्थित निर्दिष्ट करने का निर्देश
द्वारा प्रस्ताव पर विचार गया कि निर्धारित मरणाधिक
में अनुपस्थित पर विहटा में भवन निर्मित कर अथवा
विहटा में ही निर्धारित मरणाधिक के अनुरूप तीर्थ
पर भवन निर्माण विद्यार्थियों को निर्दिष्ट करना प्रारम्भ
कर दें तथ्य विद्यालय में अनुपस्थित विद्यार्थियों को
निर्दिष्ट कर दें अथवा अती स्थान पर निर्दिष्ट
विद्यार्थियों को नियुक्ति कर लें ।

विद्यार्थी/अभ्यास



हेमचन्द्र शर्मा
सरकार, जयपुर, जयपुर ।

702 नमूने

702 नमूने

पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिनिधि/सर्वोच्च शिक्षा पदाधिकारी/सर्वोच्च शिक्षा उपाय विभाग/

सर्वोच्च शिक्षा विभाग पदाधिकारी/सर्वोच्च शिक्षा विभाग के प्राचार्य को सूचनाएं एवं

सहायक प्राचार्य/सर्वोच्च शिक्षा

2- शैक्षणिक सुव्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम
एक लाख पाठ्य विद्यार्थियों को निरीक्षण किया जाएगा ।

3- निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्दिष्ट अनुपस्थित प्रमाण-पत्र निरस्त/
वैधता करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सकती है:-


1- विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षक/शिक्षक/शिक्षक कर्मियों को राज्य सरकार
के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष माना एवं भरी जाति का भुगतान नहीं किया
जा रहा है अथवा भुगतान में अंतर विद्यार्थियों के बीच है;

Attested
Kumar


कुमारी: पृष्ठ-3।




- 1. अद्योपस्थापित पुनर्वसन केंद्रों का कार्य प्रभावी ढंग से चलाया जा सके इसके लिए प्रत्येक केंद्र की कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके।
- 2. शिक्षालय में विद्यार्थी अभिरक्षितता की बात हो रही हो प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक के रूप में कार्य करना है जो उसे द्वारा उसे भी चलाया जा सके हो रहा हो।
- 3. शिक्षालय को प्रतिदिन में लेखा हो जो राज्य के सेवा से राज्य सरकार द्वारा बनायी जाने वाली शिक्षा को भी लेखा करी हो भी हो रहा हो शिक्षा को राज्य में विभिन्न संस्थाओं के बीच बंटाना पड़ता हो।
- 4. सीसीआईआईआई केंद्रों के अन्तर्गत में सीसीआईआईआई केंद्रों के अन्तर्गत शिक्षाओं को लेखा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं।



 अवर सचिव
 अवर सचिव।

क्रमांक 702 मसं, दिनांक 22 अक्टूबर 2005
 पुनर्स्थापित अवर सचिव, विहार / विहार प्रशासिक विभाग /
 अवर सचिव / शिक्षा के पुनर्वसनीय विभाग / विहार प्रशासिक विभाग, मानव संसाधन
 विकास विभाग को सुचनाएं भुक्ति।


 अवर सचिव।

क्रमांक 702 मसं, दिनांक 22-10-05
 पुनर्स्थापित मुख्य सचिव, विहार, मसं के सचिव को सुचनाएं भुक्ति।


 अवर सचिव।

Attested


702

